

**झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर प्रक्षेत्र,
जिला—सरायकेला—खरसाँवा।**

आदेश

सर्वश्री KRISHNA AUTOMOBILES, Plot No-NS-1, NS-3 & NS-3 (P), 2nd Phase, रकवा—64,163 वर्गफिट, औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर प्रक्षेत्र

- (i) Manoj Kumar Sinha
(ii) Amita Sinha

के साझेदारी व्यवस्था में कार्य कर रही थी। अब इस इकाई को आवंटित कुल रकवा—64,163 वर्गफिट में से रकवा—20,625 वर्गफीट, जो Plot No-NS-3 & NS-3 (P), 2nd Phase में सन्निहित है, को जियाडा विनियमन 2016 की कंडिका 21(iii) के प्रावधान के आलोक में नये साझेदारी इकाई के पक्ष में **LEASE HOLD RIGHT TRANSFER** की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है –

क) अब इस इकाई का नाम सर्वश्री **MOTEL MADHUBAN** होगा।

ख) इस नई इकाई के साझेदार होंगे :–

- (i) Manoj Kumar Sinha
(ii) Amita Sinha

ग) भू—आवंटन आदेश, लीज डीड एवं इसकी शर्ते पूर्ववत् रहेगी।

घ) इस परिवर्तन से उत्पन्न किसी भी वित्तीय मामले एवं वैधानिक संकट का दायित्व पूर्णतः नई इकाई के साझेदारों की होगी।

ड) इकाई के इस विधान परिवर्तन के पश्चात मूल उद्यमी का अस्तित्व समाप्त होने पर, प्राधिकार नये सिरे से वर्तमान दर पर भूमि का आवंटन करेगी।

च) यह आदेश अनंतिम है, आवंटी से पूर्ण राशि प्राप्त होने के पश्चात अंतिम आदेश निर्गत किया जायेगा।

क्षेत्रीय निदेशक
जियाडा, आदित्यपुर प्रक्षेत्र

झापांक 244/एआर

आदित्यपुर, दिनांक 13.03.23

प्रतिलिपि:— सर्वश्री KRISHNA AUTOMOBILES / MOTEL MADHUBAN, Plot No- NS-1, NS-3 & NS-3P, 2nd Phase आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.03.23
क्षेत्रीय निदेशक
जियाडा, आदित्यपुर प्रक्षेत्र